



छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय शंकर नगर रायपुर

!! सम्पदा प्रबंधन !!

परिपत्र

क्रमांक...०५.....

दिनांक १८/७/२०१३

विषय :- भाड़ाक्रय आधार पर आबंटित आवासीय सम्पत्ति की अवशेष राशि (बकाया राशि) वसूली हेतु भारित दाण्डिक ब्याज में छूट देने बाबत ।

—000—

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के ४०वाँ मण्डल सम्मेलन दिनांक २९.०६.२०१३ की पद संख्या क्रमांक-३३ पर पारित संकल्प क्रमांक- ११२८-३३/४०/०६/२०१३ द्वारा मण्डल के हितग्राहियों को जिन्हें मण्डल द्वारा भवन/भू-खण्ड भाड़ाक्रय पर आबंटित हैं, और किन्ही विशेष कारणों से परिस्थितिवश मण्डल को किश्त की राशि जमा नहीं करने पर दाण्डिक ब्याज भारित हुआ है, उन हितग्राहियों को छत्तीसगढ़ गृह निर्माण द्वारा समस्त अवशेष राशि (बकाया किश्तें) जमा करने पर छूट प्रदान की जा रही हैं । दाण्डिक ब्याज में छूट दिनांक ३१.१२.२०१३ तक लागू रहेगा ।

भाड़ाक्रय आधार पर आबंटित भवन/भू-खण्ड की अवशेष राशि (बकाया किश्तें) जमा कर दाण्डिक ब्याज में छूट का लाभ दिनांक ०१.०७.२०१३ से निम्नानुसार प्रदान किया जाएगा :-

एच.आई.जी. भवन/भू-खण्ड के हितग्राहियों के लिए :-

- (अ) ०१ जुलाई २०१३ से ३१ अगस्त २०१३ तक अवशेष राशि (बकाया राशि) जमा करने पर दाण्डिक ब्याज में ५० प्रतिशत छूट की पात्रता होगी ।
- (ब) ०१ सितम्बर २०१३ से ३१ अक्टूबर २०१३ तक अवशेष राशि (बकाया राशि) जमा करने पर दाण्डिक ब्याज में ४० प्रतिशत छूट की पात्रता होगी ।
- (स) ०१ नवम्बर २०१३ से ३१ दिसम्बर २०१३ तक अवशेष राशि (बकाया राशि) जमा करने पर दाण्डिक ब्याज में ३० प्रतिशत छूट की पात्रता होगी ।

एम.आई.जी. भवन/भू-खण्ड के हितग्राहियों के लिए :-

- (अ) ०१ जुलाई २०१३ से ३१ अगस्त २०१३ तक अवशेष राशि (बकाया राशि) जमा करने पर दाण्डिक ब्याज में ७५ प्रतिशत छूट की पात्रता होगी ।
- (ब) ०१ सितम्बर २०१३ से ३१ अक्टूबर २०१३ तक अवशेष राशि (बकाया राशि) जमा करने पर दाण्डिक ब्याज में ६० प्रतिशत छूट की पात्रता होगी ।
- (स) ०१ नवम्बर १३ से ३१ दिसम्बर २०१३ तक अवशेष राशि (बकाया राशि) जमा करने पर दाण्डिक ब्याज में ४० प्रतिशत छूट की पात्रता होगी ।

एल.आई.जी. एवं ई.डब्ल्यू.एस. भवन/भू-खण्ड के हितग्राहियों के लिए :-

- (अ) ०१ जुलाई २०१३ से ३१ अगस्त २०१३ तक अवशेष राशि (बकाया राशि) जमा करने पर दाण्डिक ब्याज में १०० प्रतिशत छूट की पात्रता होगी ।

2....

पूर्व पृष्ठ से आगे -

- (ब) 01 सितम्बर 2013 से 31 अक्टूबर 2013 तक अवशेष राशि (बकाया राशि) जमा करने पर दायिदक ब्याज में 80 प्रतिशत छूट की पात्रता होगी ।
- (स) 01 नवम्बर 2013 से 31 दिसम्बर 2013 तक अवशेष राशि (बकाया राशि) जमा करने पर दायिदक ब्याज में 60 प्रतिशत छूट की पात्रता होगी ।

व्यवसायिक भवन/भू-खण्ड, स्कूल भवन/भू-खण्डों हेतु :-

- (अ) 01 जुलाई 2013 से 31 अगस्त 2013 तक अवशेष राशि (बकाया राशि) जमा करने पर दायिदक ब्याज में 50 प्रतिशत छूट की पात्रता होगी ।
- (ब) 01 सितम्बर 2013 से 31 अक्टूबर 2013 तक अवशेष राशि (बकाया राशि) जमा करने पर दायिदक ब्याज में 40 प्रतिशत छूट की पात्रता होगी ।
- (स) 01 नवम्बर 2013 से 31 दिसम्बर 2013 तक अवशेष राशि (बकाया राशि) जमा करने पर दायिदक ब्याज में 30 प्रतिशत छूट की पात्रता होगी ।

निर्धारित तिथि के पश्चात् मण्डल नियमों में प्रावधान अनुसार भवन/भू-खण्ड/व्यवसायिक भवन/भू-खण्ड/स्कूल भवन/भू-खण्ड की बकाया राशि की वसूली करेगा ।

समस्त हितग्राहियों को सूचित करते हुए कॉलोनी में शिविर आयोजित कर वसूली की कार्यवाही की जावे तथा इस छूट का व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार किया जावे ।

आदेशानुसार
 18-07-13
 मुख्य सम्पदा अधिकारी
 छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
 मुख्यालय, रायपुर
 रायपुर, दिनांक 18/7/2013

पृष्ठा. क्रमांक 40 / सं.प्र.शा./मु.स.अ./मुख्या./2013

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर ।
2. निज सहायक, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर ।
3. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर ।
4. उपायुक्त-I/II, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर ।
5. मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर ।
6. प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर ।
7. सम्पदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर ।
8. लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर ।
9. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संभाग क्र.-1,2,3,4, रायपुर/राज.परि.सं.-1,2, रायपुर/परि.सं.दुर्ग/दुर्ग/बिलासपुर/राजनांदगांव/रायगढ़/जगदलपुर/कोरबा/अंबिकापुर/कोण्डागांव ।
10. आदेश नस्ती/गार्ड फाईल ।

18-07-13
 मुख्य सम्पदा अधिकारी
 छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
 मुख्यालय, रायपुर